कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : 802   दिनांक : 3.10.19

::विज्ञप्ति नीलामी अनुपयोगी सामान::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर में निम्नानुसार अनुपयोगी/अप्रचलित सामान की नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी।

क्रम सं.	विवरण	नग संख्या	अनुमानित/क्रय मूल्य
01.	कूलर	15	50277
02.	टाईपराइटर	33	79750
03.	मोबाईल हैडसैट	02	25899
04.	दीवार पंखे प्लास्टिक	04	0
05.	आलमारी लोहा / लकड़ी	06	3116
06.	कुर्सी लोहा/ लकड़ी	25	11452
07.	लोहे का बक्सा	01	700
08.	ब्रीफकेस	02	2925
09.	दरी	03	857
10.	हंडिया तॉबे की	01	472
11.	टेबिल लैंप	05	4565
12.	जग इलेक्ट्रिक	01	0
13.	दीवार घड़ी	02	450
14.	टेबिल लकड़ी की	01	1045
		कुल मूल्य	181508/–

सामान का न्यूनतम/आरक्षित बोली मूल्य 25,000/–रूपये होगा। उक्त सामान के इच्छुक बोलीदाता नीलामी योग्य सामान को जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला जयपुर के परिसर में स्थित नजारत शाखा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं।

–::नीलामी की शर्तें::–

01. उक्त सामान का न्यूनतम बोली मूल्य 25,000/–रूपये होगा।
02. इच्छुक बोलीदाता दि. 23.10.2019 को दोपहर 03.00 बजे तक रूपये 3700/– धरोहर राशि जमा करवाकर खुली बोली में भाग ले सकता है।
03. दिनांक 23.10.19 को अपरान्ह 03.00 बजे से नीलामी हेतु बोली प्रारंभ कर दी जायेगी।
04. नीलामी की तिथि स्थगित करने का तथा बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
05. नीलामी में बोली व्यक्तिगत रूप से 500/– रू के गुणक में लगानी होगी।
06. अधिकतम राशि की बोली लगाने वाले के नाम बोली को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

07. जिन व्यक्तियों/फर्मो की बोली स्वीकार नहीं होगी, उनको धरोहर राशि तुरन्त लौटा दी जायेगी।

08. बोली स्वीकृत होनें के तुरन्त बाद संबंधित व्यक्ति/फर्म को तत्काल बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी, शेष राशि जमा करवाकर एक सप्ताह में सामान आवश्यक रूप से उठाना होगा अन्यथा जमाशुदा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

09. सफल बोली दाता को बोली की कुल राशि पर प्रचलित दर से जीएसटी की राशि चालान द्वारा जमा कराकर प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही अमानत राशि लौटायी जायेगी।

10. बोली मंजूर होने के बाद स्वीकृत बोलीदाता को सामान इस कार्यालय से अविलम्ब अपने खर्चे से उठाकर ले जाना होगा। समस्त व्यय स्वीकृत बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

11. सामान जो जैसा है, वैसा ही नीलाम किया जायेगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सैशन न्यायालय,
जयपुर जिला, जयपुर

कमांक:लेखा/ 503 to 505

दिनांक : 3.10.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

01. नाजिर, कार्यालय हाजा को सूचना केन्द्र जयपुर : जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर : जिला क्लेक्ट्रेट, जयपुर : कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर : मिनी सचिवालय, जयपुर एवं कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर सूचित करने हेतु।

02. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

03. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर , जयपुर को नीलामी तिथि को प्रतिनिधि भिजवाने बाबत् प्रेषित है।

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सैशन न्यायालय,
जयपुर जिला, जयपुर